रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 611] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2017/फाल्गुन 10, 1938
No. 611] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2017/PHALGUNA 10, 1938

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2017

का. आ. 681(अ).— जबकि सेवाओं अथवा प्रसुविधाओं अथवा सहायकियों को प्रदान करने हेतु पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग करने से सरकारी परिदान की प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं, इसमें पारदर्शिता आती है तथा कार्यकुशलता बढ़ती है, और लाभार्थियों को सुविधाजनक रूप से तथा बिना किसी कठिनाई के अपनी पात्र सुविधाओं को सीधे प्राप्त करने में सुविधा होती है तथा आधार से किसी व्यक्ति की पहचान सिद्ध करने हेतु बहुविध दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती है।

तथा जबकि, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार पात्र स्वैच्छिक संगठनों (जिन्हें इसके पश्चात एनजीओ कहा जाएगा) के माध्यम से निम्नलिखित योजनाओं (जिन्हें इसके पश्चात उक्त योजनाएं कहा जाएगा) को प्रचालित करता है, जिनके लिए व्यय भारत की संचयी निधि से किया जाता है:-

(क) अनुसूचित जातियों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता;

(ख) मद्यपान तथा नशीले पदार्थ अथवा नशीली दवा दुरुपयोग की रोकथाम के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता की योजना;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्गों के कल्याणार्थ कार्यरत स्वैच्छिक संगठनों के लिए सहायता अनुदान; और

(घ) समेकित वृद्धजन कार्यक्रम योजना।

तथा जबकि, उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत एनजीओ के लिए निम्नलिखित प्रयोजनार्थ सहायता अनुदान प्रदान किया जाता है:

(i). उन व्यक्तिगत पदाधिकारियों (जिन्हें इसके पश्चात पदाधिकारी कहा जाएगा) को मानदेय देने के लिए जो इसके लिए संबंधित योजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सेवाएं प्रदान करते हैं; और

(ii). व्यक्तिगत अन्तिम लाभार्थी (जिन्हें इसके पश्चात लाभार्थी कहा जाएगा) को सेवाएं अथवा लाभ प्रदान करने के लिए;

अतः, अब आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा जाएगा) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, नामतः :-

1. (1) एनजीओ के माध्यम से प्रस्तावित उक्त योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पात्र पदाधिकारी अथवा लाभार्थी से यह अपेक्षित है कि वह अपने पास आधार प्रमाण पत्र होने का प्रमाण प्रस्तुत करे अथवा आधार प्रमाणीकरण कराए।

(2) एनजीओ के माध्यम से उक्त योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसी पदाधिकारी अथवा लाभार्थी, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है अथवा जिनका अभी तक आधार हेतु नामांकन नहीं हुआ है, से एतद्वारा यह अपेक्षित है कि वह 30 जून, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करे, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार प्राप्त करने का पात्र हो और ऐसे व्यक्ति आधार के लिए नामांकन कराने हेतु किसी भी आधार नामांकन केंद्र (सूची यूआईडीएआई बेवसाईट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है] में जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन तथा अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, मंत्रालय के अंतर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रभारी संबंधित एनजीओ जिसे व्यक्ति द्वारा आधार प्रस्तुत करना अपेक्षित है, से यह अपेक्षित है कि उन पदाधिकारियों अथवा लाभार्थियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करें जिनका आधार हेतु अभी तक नामांकन नहीं हुआ है तथा संबंधित प्रखंड या तालुका या तहसील में किसी आधार नामांकन केन्द्र के नहीं होने की स्थिति में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग, भारत सरकार अपने कार्यान्वयन एनजीओ तथा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन जहां ऐसे एनजीओ कार्यरत हैं, के माध्यम से, यूआईडीएआई के मौजूदा पंजीयकों के समन्वय से सुविधाजनक स्थानों पर आधार नामांकन सुविधा उपलब्ध कराएं।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 5 में यथा-निर्धारित आधार नामांकन प्रक्रिया का 5 वर्ष की आयु से नीचे के बाल/बालिका लाभार्थियों के लिए अनुपालन किया जाएगा।

(5) यदि, आधार उपयोग करते हुए प्रमाणीकरण अथवा आधार होने का प्रमाण प्रस्तुत करना संभव नहीं हो, पदाधिकारियों अथवा लाभार्थियों को आधार मिलने तक, उक्त योजनाओं के अंतर्गत ऐसे पदाधिकारियों अथवा लाभार्थियों को निम्नलिखित पहचान संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत करने के अध्यधीन लाभ प्रदान किए जाएंगे, नामतः

(क) (i) यदि वह नामांकित है तो उसकी आधार नामांकन आईडी पर्ची; या

(ii) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की एक प्रति; और

(ख) (i) फोटो सहित बैंक पासबुक; या

(ii) भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; अथवा

(iii) राशन कार्ड, अथवा

(iv) आयकर विभाग द्वारा जारी स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; अथवा

(v) पासपोर्ट; अथवा

(vi) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के तहत लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया ड्राइविंग लाइसेंस;

(vii) किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सरकारी लैटर हैड पर जारी ऐसे सदस्य के फोटो वाले पहचान का प्रमाण पत्र; अथवा

(viii) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज;

बशर्ते कि, उक्त दस्तावेजों की जांच, मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित एनजीओ के किसी नामित पदाधिकारी द्वारा की जाएगी।

बशर्ते यह भी कि जब कभी किसी लाभार्थी को सेवाओं अथवा लाभों को प्राप्त करने के लिए किसी आकस्मिक उपाए जैसे आकस्मिक चिकित्सा सहायता की आवश्यकता हो, उसे इस प्रकार की सेवाओं अथवा लाभों से पैरा 1 के उप-पैरा (5) में वर्णित उक्त आवश्यकता के अनुपालन, 15 दिन से अधिक नहीं, के पश्चात इंकार नहीं किया जाएगा।

2. पदाधिकारियों अथवा लाभार्थियों को उक्त योजनाओं के अंतर्गत सुविधाजनक और बाधामुक्त लाभ प्रदान करने हेतु, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अधीन संबंधित एनजीओ निम्नलिखित सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेंगे, नामत: :-

(क) मंत्रालय की उक्त योजनाओं के कार्यान्वयन एनजीओ में मीडिया तथा व्यक्तिगत नोटिसों के माध्यम से उक्त योजनाओं के अंतर्गत आधार की आवश्यकता से पदाधिकारियों और लाभार्थियों को अवगत कराने हेतु व्यापक प्रचार किया जाएगा और यदि वे पहले से नामांकित नहीं हैं, उन्हें अपने-अपने क्षेत्र में 30 जून, 2017 तक उपलब्ध निकटतम आधार नामांकन केन्द्रों में स्वयं को नामांकन कराने की सलाह दें। उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि, पदाधिकारी अथवा लाभार्थी अपने निवास के समीप यथा प्रखंड अथवा तालुका अथवा तहसील के भीतर नामांकन केन्द्र उपलब्ध न होने के कारण अपना नामांकन नहीं करा पाते हैं तो संबंधित कार्यान्वयन एनजीओ को उन्हें नामांकन कराने के लिए यूआईडीएआई के मौजूदा पंजीयकों के साथ समन्वय करना अपेक्षित है। पदाधिकारी और लाभार्थी सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की उक्त योजनाओं का कार्यान्वयन करने वाले एनजीओ के संबंधित पदाधिकारियों को अथवा इस प्रयोजनार्थ प्रदत्त किसी बेव पोर्टल के माध्यम से अन्य आवश्यक ब्यौरे सहित अपने नाम, पते और मोबाईल नं. प्रदान करते हुए आधार नामांकन के लिए अपना अनुरोध पंजीकृत कराएं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू व कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा.सं. 11017/87/2016-एससीडी-I]

आइन्द्री अनुराग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March , 2017

S.O.681(E).–Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly to them in a convenient and hassle free manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity.

And Whereas, the Department of Social Justice and Empowerment, Ministry of Social Justice and Empowerment, Government of India operates the following Schemes (hereinafter referred to as the said Schemes) through eligible Voluntary Organisations (hereinafter referred to as NGOs), for which expenditure is incurred from the Consolidated Fund of India:

(a) Assistance to Voluntary Organisations working for the welfare of the Scheduled Castes;
(b) Scheme of assistance to Voluntary Organisations for prevention of alcoholism and substance or drug abuse;
(c) Grant in Aid to Voluntary Organisations working for welfare of Other Backward Classes; and
(d) Scheme of integrated program for older persons.

And whereas, the grant-in-aid is given to NGOs under the said Schemes for the purpose of:

(i) giving honorarium to individual functionaries who render services therein as per the respective Scheme guidelines (hereinafter referred to as functionaries); and

(ii) giving services or benefits to the individual end beneficiaries (hereinafter referred to as beneficiaries);

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (herein after referred to the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:–

1. (1) An eligible functionary or beneficiary desirous of availing the benefits under the said Schemes offered through NGOs is required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) A beneficiary or functionary desirous of availing the benefit under the said Schemes through NGOs, who does not possess an Aadhaar or has not yet enrolled for Aadhaar is hereby required to apply for Aadhaar enrolment by **30th June 2017**, provided he or she is entitled to obtain Aadhaar as per the Section 3 of the said Act and such individual may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at UIDAI website www.uidai.gov.in) for Aadhaar enrolment.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned NGO incharge of implementation of the Schemes under the Ministry, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to facilitate Aadhaar enrolment for the functionaries or beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department of Social Justice and Empowerment, Government of India, through its implementing NGOs and respective State Government

or Union territory Administration where such NGOs are functioning is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI.

(4) The Aadhaar enrolment process as prescribed in section 5 of the said Act shall be followed for children beneficiaries below the age of five years.

(5) In case authentication using Aadhaar or submission of proof of possession of Aadhaar is not possible, till the time Aadhaar is assigned to the functionaries or beneficiaries, benefits under the said Schemes shall be given to such functionaries or beneficiaries subject to the production of the following identification documents, namely:–

(a) (i) if he or she has enrolled, his or her Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his or her request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2; and

(b) (i) Bank passbook with photograph; or

(ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or

(iii) Ration Card; or

(iv) Permanent Account Number (PAN) Card issued by the Income Tax Department; or

(v) Passport; or

(vi) Driving licence issued by the Licencing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or

(vii) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer on official letter head; or

(viii) any other documents specified by the Central Government;

Provided that the above documents shall be checked by a designated functionary of NGO as prescribed by the Ministry.

Provided further that when a beneficiary needs to avail services or benefits as an emergency measure such as emergency medical assistance, he or she shall not be denied such services or benefits subject to his or her subsequently complying to above requirement mentioned in sub para (5) of para 1 not later than 15 days.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the said Schemes to the functionaries or beneficiaries, the concerned NGOs under the Department of Social Justice and Empowerment shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) wide publicity through media and individual notices at NGOs implementing the Ministry's said Schemes shall be given to make functionaries and beneficiaries aware of the requirement of Aadhaar under the said Schemes and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 30th June, 2017, in case they are not already enrolled. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(b) in case, the functionaries or beneficiaries are not able to enrol for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres within the vicinity such as in Block or Taluka or Tehsil, the concerned implementing NGOs is required to coordinate with the existing Registrars of UIDAI to get them enrolled. The functionaries and beneficiaries may be requested to register their request for Aadhaar enrolment by giving their names, address, mobile number with other necessary details with the concerned functionaries of the NGOs implementing said Schemes of the Department of Social Justice and Empowerment or through a web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect in all the States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir from the date of its publication in the Official Gazette.

[F.No.: 11017/87/2016-SCD-I]

AINDRI ANURAG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2017.03.02 11:44:01 +05'30'